

राजस्व लोक अदालत केम्प
मुकदमा नम्बर
वादी-

लोहरवाड़ा

सोनपाण्ड

बनाम तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है:-

ग्राम लोहरवाड़ा पटवार हल्का 2370/2371 तहसील किशनगढ़
के आराजी खसरा नम्बर 293, 291, 267, 268, 273, 266, 272

में वादी का नाम व विवरण

सोनपाण्ड

के स्थान पर

सोनपाण्ड

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

Web Copy - Not Official

का वाद डिकी किये जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि

आदेशित शुद्ध प्रविष्टि

सोन पाल 510 बीघा तक

सोन पाल 510 बीघा तक

खण्ड 293, 291, 267, 268,
273, 266, 272,
ग्राम - लोहरवाड़ा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

15 नं. 45718

45718

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार

~~सह~~ डिप्टी कमिश्नर

को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।

सहायक कलेक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (राजपुर)